No. 14011/01/2025/CBC (P&C)
भारत सरकार/ Government of India
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/ Ministry of Information & Broadcasting
केंद्रीय संचार ब्यूरो/ Central Bureau of Communication
****

दिनांक: 12/10/2026.

विषय: केंद्रीय संचार ब्यूरो, पटना के अंतर्गत बिहार राज्य के निजी पंजीकृत दलों और व्यक्तिगत कलाकारों का पंजीकरण के संबंध में।

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), द्वारा बिहार राज्य के नाटक, नुक्कड़-नाटक, नृत्य-नाटक, मिश्रित कार्यक्रम, लोक और पारंपरिक गायन, जादू, पौराणिक गायन, कठपुतली आदि के इच्छुक निजी सांस्कृतिक मंडलियों और व्यक्तिगत कलाकारों को **तीन (03) वर्ष** की अवधि के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो, पटना के तहत पंजीकरण/पैनलबद्धता के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. केंद्रीय संचार ब्यूरो, पटना के साथ पंजीकरण/पैनलबद्धता के लिए विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन फॉर्म संलग्न हैं। निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत भरा हुआ आवेदन **09 नवंबर, 2026** को या उससे पहले सायं 6:00 बजे तक "उप-निदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल्ल, कार्पूरी ठाकुर सदन, जी0 ब्लॉक, आशियाना-दिघा रोड़, पटना-800025" के पते पर पहुँच जाना चाहिए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(गोपा बिस्वास)
सहायक निदेशक

गोपा बिस्वास/GOPA BISWAS
सहायक निदेशक/Assistant Director
केन्द्रीय संचार ब्यूरो/Central Bureau of Communication
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/Ministry of Information & Broadcasting
भारत सरकार/Government of India
नई दिल्ली-110003/New Delhi-110003

प्रतिलिपि:

1. सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, BECIL, कमरा नंबर 469, चौथी मंज़िल, सूचना भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इस विज्ञापन को CBC की वेबसाइट www.cbcindia.gov.in पर अपलोड करें।

No. 14011/01/2025/CBC (P&C)
भारत सरकार/Government of India
सूचना और प्रसारण मंत्रालय/Ministry of Information & Broadcasting
केंद्रीय संचार ब्यूरो/Central Bureau of Communication

पारंपरिक और लोक प्रदर्शन कला आदि के माध्यम से अंतर-व्यक्तिगत संचार के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो, पटना (बिहार राज्य) के साथ पंजीकरण/सूचीबद्धता के लिए इच्छुक निजी सांस्कृतिक मंडलों और व्यक्तिगत कलाकारों (जिसे आकस्मिक कलाकारों के रूप में भी जाना जाता है) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो (केंद्रीय संचार ब्यूरो), केंद्रीय संचार ब्यूरो (ज़ोनल कार्यालयों) केंद्रीय संचार ब्यूरो (प्रादेशिक कार्यालयों) और केंद्रीय संचार ब्यूरो (क्षेत्रीय कार्यालयों) के साथ लाइव मीडिया के माध्यम से अंतर-व्यक्तिगत संचार में संलग्न हैं, जो केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रसार के लिए लोक और पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं की विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, महिलाओं के सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यत पर्यावरण और विकासात्मक योजनाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा आदि जैसे विषय देश के विभिन्न हिस्सों में संबंधित बोलियों में देश के विभिन्न हिस्सों में संबंधित बोलियों में लोकप्रिय लोक और पारंपरिक रूप का उपयोग कर क्रियाकलापों के माध्यम से प्रमुख मद्दे कवर किए जाते हैं।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली (मुख्यालय) के तहत **केंद्रीय संचार ब्यूरो, पटना (बिहार राज्य)** के लिए दो श्रेणियों में नामत निजी पंजीकृत मंडली और व्यक्तिगत कलाकारों में पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 28.06.2018 के द्वारा अनुमोदित संशोधन को शामिल करते हुए दिनांक 04.07.2018 के सं. 14011/01/2018 के अद्यतित दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्रीनिंग/पंजीकरण की जाएगी।

स्क्रीनिंग/ऑडिशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा किया जाएगा।

3. नाटक, नुक्कड़-नाटक, नृत्य-नाटिका, समय कार्यक्रम, लोक और पारंपरिक गायन, जादू, पौराणिक गायन, कठपुतली नृत्य आदि के इच्छुक निजी सांस्कृतिक प्रदर्शन करने वाले पार्टियों/मंडली से और **बिहार राज्य से व्यक्तिगत कालाकारों तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।**

आवेदकों को स्थानीय बोलियों और स्थानीय लोक और पारंपरिक जीवित कला के स्वरूपों का ज्ञान होना चाहिए। नाटक, नृत्य, वाद्य, गायक और अन्य प्रदर्शनकारी शाखा के व्यक्तिगत कलाकारों की सूचीबद्धता के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित प्रोफार्मा अनुलग्नक-I पर है जो निजी सांस्कृतिक मंडलों और आकस्मिक/व्यक्तिगत/सूचीबद्ध दोनों के कलाकारों के लिए मान्य है। यदि आवश्यक हो तो आवेदक विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पेज का उपयोग कर सकते हैं।

आवेदकों को विशेष रूप से नोट करने का अनुरोध किया जाता है:

4. भारतीय नागरिकों के निजी सांस्कृतिक मंडलों और व्यक्तिगत/आकस्मिक कलाकारों से केंद्रीय संचार ब्यूरो, पटना (बिहार राज्य) के तहत पंजीकरण/सूचीबद्धता के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिनके पास नाटक, नृत्य-नाटक, नुक्कड़-नाटक और समग्र मंडली, लोक और पारंपरिक गायन, जादू, कठपुतली नृत्य, पौराणिक गायन आदि और संबंधित थियेटर टेक आदि गायन के क्षेत्र में विशेषता रखते हैं।

5. प्रत्येक मंडली/व्यक्तिगत कलाकार संबंधित राज्य की भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए केवल एक राज्य से पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।

6. श्रेणी/भाषा और राज्य लिफाफे के शीर्ष पर इंगित किया जाना चाहिए।

7. एक क्षेत्र के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो से केवल एक निजी सांस्कृतिक मंडली और व्यक्तिगत कलाकार पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। किसी दिए गए स्थान या शहर पर पंजीकरण एक निजी सांस्कृतिक मंडली/कलाकार को प्रादेशिक कार्यालय की दी गई अनुसूची के अनुसार आवेदन करना होगा:

केंद्रीय संचार ब्यूरो का नाम			आवेदन पत्र भेजे जाने हेतु
क्र.सं.	केंद्रीय संचार ब्यूरो	क्षेत्राधिकार	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पटना	बिहार राज्य	उप-निदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, कार्पूरी ठाकुर सदन, जी0 ब्लॉक, आशियाना-दिघा रोड़, पटना-800025

8. राजपत्रित अधिकारी/बैंक प्रबंधक/स्कूल के प्रिंसिपल/किसी भी राज्य सरकार के कार्यालयों/उपक्रम के कार्यालयों के राज्य सरकार के अधिकारी/अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित की गई प्रमुख/व्यक्तिगत कलाकार की हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की 03 (तीन) प्रतियां पत्र के साथ संलग्न किया जाना है।

9. मंडली के साथ हाल की समूहिक तस्वीर की तीन प्रतियां आवेदन के साथ आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है।

क्र.सं.	मंडली की संख्या (कलाकारों की संख्या)	कलाकारों की संख्या (अतिरिक्त कलाकारों सहित)	सामूहिक-तस्वीर का आकार
1.	10 (दस) कलाकार वाला मंडली	10 (दस) से 15 (पंद्रह) कलाकार	कैबिनेट साइज
2.	08 (आठ) कलाकार वाला मंडली	08 (आठ) से 12 (बारह) कलाकार	कैबिनेट साइज
3.	06 (छह) कलाकार वाला मंडली	06 (छह) से 09 (नौ) कलाकार	पोस्ट कार्ड साइज
4.	04 (चार) कलाकार वाला मंडली	04 (चार) से 06 (छह) कलाकार	पोस्ट कार्ड साइज

उपरोक्त तस्वीरों को राजपत्रित अधिकारी/बैंक प्रबंधक/स्कूल के प्रिंसिपल/ किसी भी राज्य सरकार के कार्यालयों/उपक्रम के कार्यालयों के राज्य सरकार के अधिकारी/अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

10. तस्वीरों के साथ, प्रत्येक कलाकार/अभिनय करने वाले का (1) नाम, (2) पिता/पति का नाम, (3) आवासीय प्रमाण पता, (4) चाहे वह एससी/एसटी/अन्य वर्ग से संबंधित हो, (5) शैक्षिक योग्यता, (6) धर्म, (7) राष्ट्रीयता, (9) मंडली/पार्टी में भूमिका जैसे विवरण दिखाने वाली एक अलग दस्तावेज़ होना चाहिए। इस दस्तावेज़ पर मंडली नेता द्वारा हस्ताक्षर करना होगा।

11. किसी विशेष मंडली के नेता सहित सभी कलाकारों की आयु सीमा **01/08/2026** को 18 (अठारह) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

12. सांस्कृतिक मंडली, कलाकार और व्यक्तिगत कलाकार आवेदन के समय दो अलग-अलग जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित प्रत्येक कलाकार के दो चरित्र प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र दो वर्ष के अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय निकाय/पंचायत प्रमुख के निर्वाचित सदस्टों से सील सहित या किसी भी स्थानीय निकायों से उच्चतर विधायी निकाय, पीएसयू बैंकों के बैंक अधिकारियों, किसी भी भारत सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम के अधिकारी, सरकारी डॉक्टरों, पोस्ट मास्टर्स, किसी भी पंजीकृत दवा चिकित्सक (आरएमपी), सेना के सदस्य/अधिकारी या किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के अधिकारी, स्कूल शिक्षक (किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल के) से प्राप्त किए जा सकते हैं।

13. मंडली के नेता और व्यक्तिगत कलाकारों अधिमानत: एक साक्षर होना चाहिए और क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने, लिखने और धाराप्रवाह बोलने में सक्षम होना चाहिए। समूह के नेता को एक अच्छा सार्वजनिक संचारक होना चाहिए और उसे अधिमानत: एक कलाकार होना चाहिए और यदि नहीं, तो उसे मंच और लाइव आर्ट्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। उसे सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और देश से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूक होना चाहिए।

14. सभी मामलों में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष ऑडिशन/स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने के लिए टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।

14. (क) स्क्रीन/ऑडिशन टेस्ट में पंजीकरण के लिये पात्रता:

क्र.सं.	श्रेणी	मंडली का आकार		स्क्रीनिंग/ऑडिशन परीक्षण के लिए अनुमत कलाकार
		नियमित कार्यक्रमों के लिए कलाकार	अतिरिक्त कलाकार	
1.	नाटक/ नुक्कड़-नाटक/ नृत्य-नाटक/ मिश्रित	10 (दस) कलाकार	केवल 05 (पांच) कलाकार	15 (पंद्रह) कलाकार तक
		08 (आठ) कलाकार	केवल 04 (चार) कलाकार	12 (बारह) कलाकार तक
2.	लोक और पारंपरिक गायन (फटीआर), पौराणिक गायन (एमआर), जादू, कठपुतली और अन्य	06 (छह) कलाका	केवल 03 (तीन) कलाकार	09 (नौ) कलाकार तक
		04 (चार) कलाकार	केवल 02 (दो) कलाकार	06 (छह) कलाकार तक

(ख) स्क्रीनिंग/ऑडिशन टेस्ट की तारीख तक पार्टी के सदस्यों में बदलाव की अनुमति है, उसके बाद पार्टी में, सदस्यों के बदलाव की अनुमति नहीं है। विभाग स्वयं न्यायाधीशों के पैनल की उपस्थिति में स्क्रीनिंग के समय मंच पर कलाकारों की तस्वीरें लेगा और (क्रम संख्या 5 और 7 में उल्लिखित पूर्व-अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने वालों को) उसके आधार पर परिणाम घोषित होने के बाद चयनित पार्टियों/दलों के लिए समूह पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

15. गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क का भुगतान आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क का विवरण:

क्र.	श्रेणी	पंजीकरण शुल्क
1.	10 (दस) या उससे अधिक सदस्यों वाले दल	₹2,000/- (रुपय दो हजार)
2.	10 (दस) से कम सदस्यों वाले दल	₹1,000/- (रुपय एक हजार)
3.	व्यक्तिगत कलाकार	₹1,000/- (रुपय एक हजार)
<u>भुगतानः</u> गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क का भुगतान **"<u>DDO, ROB, Patna</u>"** के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है, जहां यह सभी आवेदनों के संबंध में लागू है।		

16. **पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने में छुट:**
(1) (i) अनुसूचित जाति, (ii) अनुसूचित जनजाति या (iii) महिला की अध्यक्षता वाली मंडली के मामले में पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग से संबंधित व्यक्तिगत कलाकारों को भी छूट दी गई है। इस तरह की छूट की मांग करने वाली मंडली को आवेदन पत्र के साथ प्रासंगिक प्रमाण पत्र सकारात्मक रूप से जमा करना होगा।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के नेतृत्व वाली मंडली के मामले में पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी या उपरोक्त तीन श्रेणियों की मंडली की कुल संख्या का 50% प्रतिनिधि होगा। ऐसी छूट चाहने वाली मंडलियों को आवेदन पत्र के साथ प्रासंगिक प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। यह पंजीकरण शुल्क गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित वामपंथी उग्रवाद जिलों में तैनात सांस्कृतिक समूहों या व्यक्तिगत कलाकारों के लिए लागू नहीं होगा। इस श्रेणी के तहत छूट प्राप्त करने के लिए, मंडली के सभी सदस्यों को संबंधित जिलों से संबंधित होना चाहिए। यह तभी हकदार होगा जब इसकी मंडली के सभी सदस्य वामपंथी उग्रवाद जिलों से संबंधित हों और अपनी टीम के सदस्यों के संबंध में दस्तावेज प्रमाण जैसे निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसी छूट की मांग करने वाले मंडलों/कलाकारों से अनुरोध है कि वे आवेदन प्रपत्रों के साथ प्रासंगिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

17. केंद्रीय संचार ब्यूरो, पटना के तहत काम करने वाले निजी सांस्कृतिक मंडली/व्यक्तिगत कलाकार केवल संविदात्मक कार्य के अधीन हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत सरकार का कर्मचारी नहीं माना जाएगा। एक बार पंजीकृत होने के बाद इन मंडली/व्यक्तिगत कलाकारों को कार्यक्रम प्रदान करने या आवंटित करने के लिए भारत सरकार जिम्मेदार या अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं है। पैनल में शामिल होने का मतलब केवल सरकार द्वारा आवश्यक होने पर अभिनय के लिए पंजीकरण करना है।

18. निजी पंजीकृत मंडलियों के सदस्यों और व्यक्तिगत कलाकारों को, उपरोक्त संविदात्मक कार्य पर प्रदर्शन करते समय हर समय अनुशासन बनाए रखना होता है। केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत सरकार के बैनर के तहत प्रदर्शन करते समय उनका व्यवहार जनता के सामने अनुकरणीय होना चाहिए। यदि ऐसी किसी मंडली/कलाकार के विरुद्ध सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग ऐसी किसी मंडली/कलाकार को पदच्युत करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। संबंधित केंद्रीय संचार ब्यूरो नागरिक समाज के प्रति मंडली के सदस्यों की किसी भी व्यक्ति की गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

19. स्क्रीनिंग/ऑडिशन के पूरा होने पर, स्क्रीनिंग/ऑडिशन की गई मंडलियों/कलाकारों के परिणाम को केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ पंजीकरण के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसित किया जाएगा। अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात चयनित मंडलियों/कलाकारों को ही पंजीयन दिया जाएगा।

20. **केवल पूर्ण आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा**। आवेदनों की जांच के बाद, जिन मंडली नेताओं/व्यक्तिगत कलाकारों के आवेदन सही पाए जाते हैं, उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के समक्ष उनके सह-कलाकारों/व्यक्तिगत कलाकारों और अन्य दस्तावेजों के साथ स्क्रीनिंग/ऑडिशन टेस्ट के लिए उपस्थित होने का अनुरोध किया जाएगा।

21. 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले वे सभी निजी सांस्कृतिक मंडलीयाँ और व्यक्तिगत कलाकार केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ पैनल में शामिल होने के पात्र होंगे।

22. स्क्रीनिंग इस विज्ञापन के पैरा 2 में संदर्भित दिशा-निर्देश संख्या 14011/01/2018-पीएंडसी, दिनांक 04.07.2018 के अनुसार आयोजित की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशें प्रमुख, केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली (मुख्यालय) के अनुमोदन के बाद अंतिम होंगी।

23. प्रदर्शन का मूल्यांकन वेशभूषा, श्रृंगार, संपत्तियों के उपयोग, संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग और समग्र प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा जिसमें आवश्यक संदेश को आकर्षक तरीके से डालने में दक्षता आदि शामिल है।

24. कार्यक्रम केवल उन्हीं पंजीकृत निजी सांस्कृतिक मंडलियों/व्यक्तिगत कलाकारों को प्रस्तुत किए जाएंगे जो समय-समय पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने, समय पर बिल जमा करने के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रमाण में फोटोग्राफ जैसे आवश्यक दस्तावेज, जिसमें निष्पादित कार्यक्रम की फीड बैक आदि शामिल हैं।

25. कार्यक्रम के पूरा होने और बिल और संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र जमा करने पर, निष्पादित कार्यक्रमों का भुगतान बढ़ाये गये अनुमोदित ग्रेड के अनुसार जारी किया जाएगा।

26. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आईडी नं. 1/2(9)10-एफएस, दिनांक 07.06.2018 की निर्धारित दरों और दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित कार्यक्रमों की फीस का भुगतान संबंधित निजी मंडली/मंडली के नेताओं/सदस्यों/पैनल में शामिल कलाकारों के पक्ष में किया जाएगा।

स्वीकृत दरों और दिशानिर्देशों के अनुसार, संरचना निम्नलिखित है:

I. मंडली श्रेणी: वर्गीकरण के बिना केवल पीआरटी/ व्यक्तिगत कलाकार हो सकता है

i) **मंडली साइज**: मंडली 4 साइज यानी मंडली लीडर सहित 4/6/8/10 सदस्य के होंगे।

II. **शुल्क संरचना**: शुल्क संरचना में 3 घटक शामिल हो सकते हैं:

i) मंडली के व्यक्तिगत सदस्य और उनके नेता/ व्यक्तिगत कलाकार के लिए प्रदर्शन शुल्क।

ii) पीएएस (पब्लिक एड्रेस सिस्टम), मंडली रखरखाव, फोटोग्राफ (सॉफ्टकॉपी), बैनर इत्यादि के लिए लॉजिस्टिक शुल्क के रूप में मंडली लीडर को एकमुश्त शुल्क।

iii) यात्रा किराया जो तभी स्वीकार्य होगा जब मंडली/व्यक्तिगत कलाकार अपने पंजीकरण के राज्य के बाहर प्रदर्शन करते हैं।

III. **पीआरटी की निष्पादन शुल्क**:

i) मंडली लीडर का निष्पादन शुल्क — 1000 रुपये/दिन

ii) मंडली के सदस्य का निष्पादन शुल्क — 800 रुपये/दिन

iii) यदि एक दिन में एक से अधिक कार्यक्रम होते हैं, अतिरिक्त निष्पादन शुल्क @ 300 रुपये प्रति दिन (एक से अधिक कार्यक्रमों वाले दिनों में) मंडली के नेता और मंडली के सदस्यों दोनों को भुगतान किया जा सकता है।

IV. मंडली के नेता को रसद शुल्क :मंडली लीडर को लॉजिस्टिक शुल्क का भुगतान क्रमशः 10/8/6/4 सदस्य मंडली के लिए प्रति दिन 3000/2500/2000/1500 प्रति दिन किया जा सकता है। लॉजिस्टिक शुल्क में पीएएस) पब्लिक एड्रेस सिस्टम(, मंडली रखरखाव, कार्यक्रम की तस्वीरें) सॉफ्टकॉपी (और तैयारी बैनर आदि के रखरखाव के लिए शुल्क शामिल होंगे।

27. उपरोक्त के आधार पर मंडलीवार समेकित शुल्क निम्नलिखित होगा:

क्रम सं.	मंडली का आकार	नेता के लिए शुल्क (प्रति कार्यक्रम)	सदस्यों के लिए शुल्क (प्रति कार्यक्रम)	रसद शुल्क (प्रति कार्यक्रम)	कुल (प्रति कार्यक्रम)
1.	10-सदस्य	₹1,000/-	₹800/- X 09 = ₹7,200/-	₹3,000/-	₹11,200/-
2.	08-सदस्य	₹1,000/-	₹800/- X 07 = ₹5,600/-	₹2,500/-	₹9,100/-
3.	06-सदस्य	₹1,000/-	₹800/- X 05 = ₹4,000/-	₹2,000/-	₹7,000/-
4.	04-सदस्य	₹1,000/-	₹800/- X 03 = ₹2,400/-	₹1,500/-	₹4,900/-
यदि एक दिन में एक से अधिक कार्यक्रम होते हैं, अतिरिक्त निष्पादन शुल्क @ 300 रुपये प्रति दिन (एक से अधिक कार्यक्रमों वाले दिनों में) मंडली के नेता और मंडली के सदस्यों दोनों को भुगतान किया जा सकता है।					

<u>व्यक्तिगत कलाकारों के संबंध में शुल्क संरचना</u>:

स्थानीय कार्यक्रमों के लिए पारिश्रमिक (प्रति दिन शुल्क)	बाहरी कार्यक्रमों के लिए पारिश्रमिक (प्रति दिन शुल्क)	रिहर्सल शुल्क प्रति दिन
₹1000/- (रुपये एक हजार) मात्र प्रति कार्यक्रम	₹1500/- (रुपये एक हजार पांच सौ) मात्र प्रति कार्यक्रम	₹400/- (रुपये चार सौ) मात्र प्रति पूर्वाभ्यास
• आयोजनों में, यदि एक दिन में एक से अधिक कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे कार्यक्रम दिवसों पर अतिरिक्त शुल्क @ ₹300/- (रुपये तीन सौ मात्र) प्रति दिन होगा।		
यात्रा भत्ता: चेयर कार या डीलक्स बसों (वोल्वो को छोड़कर) ,तीसरा एसी का रेल किराया।		

28. केंद्रीय संचार ब्यूरो, पटना निष्पादित कार्यक्रमों के लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो वास्तव में संबंधित प्रादेशिक कार्यालय द्वारा पेश किया गया है।

29. केंद्रीय संचार ब्यूरो की आवश्यकता के अनुसार और धन की उपलब्धता के आधार पर कार्यक्रम की पेशकश की जाएगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रति माह या वर्ष में किसी निश्चित संख्या में कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए कोई गारंटी या किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देगे।

30. निजी सांस्कृतिक दलों/व्यक्तिगत कलाकारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित कहीं भी कम से कम समय में 10-15 दिनों के लिए काम करें।

31. आवेदक ध्योन दें कि प्रदर्शन की स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लागू दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। स्क्रीनिंग के दौरान प्रदर्शन और स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा। पैनल में शामिल करने के लिए किसी अन्य कारक को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और दिशानिर्देशों के अनुसार यही एकमात्र स्थापित प्रक्रिया है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पैनल में शामिल कराने का दावा करने वाले व्यक्तियों/संगठनों के बहकावे में न आएं। स्क्रीनिंग कमेटी पर पैनल में शामिल होने के लिए किसी बाहरी दबाव से निर्देशित नही किया जाना चाहिए।

32. केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली के प्रमुख, बिना कोई कारण बताए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

33. अधिक जानकारी के लिए यदि आवश्यक हो, तो मंडली के नेता केंद्रीय संचार ब्यूरो, पटना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

34. निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत भरा हुआ आवेदन **<u>09 नवंबर, 2026</u>** को या उससे पहले **सायं 6:00 बजे** तक "**उप-निदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, कार्पूरी ठाकुर सदन, जी0 ब्लॉक, आशियाना-दिघा रोड़, पटना-800025**" के पते पर पहूंच जाना चाहिए।

****

केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ निजी सांस्कृतिक दल/व्यक्तिगत कलाकारों (एम्पैनल्ड आर्टिस्टों) की रजिस्ट्रेशन आवेदन फार्मेट

लीडर/ व्यक्तिगत कलाकार (एम्पैनल्ड आर्टिस्ट) की 3 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चिपकाएं जो कि राजपत्रित अधिकारी/ बैंक मैनेजर/ स्कूल प्रिंसीपल/ राज्य सरकार अधिकारी/ किसी राज्य सरकार कार्यालय के अफसरों/ अंडरटेकिंग अफसरों द्वारा सत्यापित हो।	लीडर/ व्यक्तिगत कलाकार (एम्पैनल्ड आर्टिस्ट) की 3 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चिपकाएं जो कि राजपत्रित अधिकारी/ बैंक मैनेजर/ स्कूल प्रिंसीपल/ राज्य सरकार अधिकारी/ किसी राज्य सरकार कार्यालय के अफसरों/ अंडरटेकिंग अफसरों द्वारा सत्यापित हो।	लीडर/ व्यक्तिगत कलाकार (एम्पैनल्ड आर्टिस्ट) की 3 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चिपकाएं जो कि राजपत्रित अधिकारी/ बैंक मैनेजर/ स्कूल प्रिंसीपल/ राज्य सरकार अधिकारी/ किसी राज्य सरकार कार्यालय के अफसरों/ अंडरटेकिंग अफसरों द्वारा सत्यापित हो।

1.	दल/व्यक्तिगत कलाकार का नाम (बड़े अक्षरों में):			
2.	आवासीय प्रमाण पत्र के साथ दल नेता/व्यक्तिगत कलाकार का नाम और पता:			
3.	मोबाइल नंबर:			
4.	दल नेता/व्यक्तिगत कलाकार की जन्म तिथि: _____ (01/08/2026 तक की आयु: _____)			
5.	पिता/माता/पति/संरक्षक का नाम:			
6.	दल नेता/व्यक्तिगत कलाकार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि:			
7.	अनुभव, यदि हो:			
8.	भूतकाल में परफॉर्मेंस का विवरण (अतिरिक्त शीटें प्रयोग करें):			
9.	परफॉर्मेंस की किस्म (नाटक/संगीत नृत्य नाटक/कठपुतली/जादू लोक परम्परागत रूपांतर/पौराणिक कथा/कम्पोजिट, कोई अन्य):			
10.	परफॉर्मेंस की भाषा:			
11.	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उपस्थित होने के लिए	पुरुष:	महिला:	कुल:
	रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रोग्रामों की प्रस्तुति के लिए	पुरुष:	महिला:	कुल:
12.	दल में महिला/एससी/एसटी कलाकारों की संख्या	महिला:	एससी:	एसटी:
13.	क्या शौकिया/व्यावसायिक:			
14.	दल /व्यक्तिगत कलाकार के बैंक का नाम और खाता नं, यदि कोई है:			
15.	कलाकारों का नाम/पिता का नाम/पति का नाम/संरक्षक का नाम, पता, आयु (पृथक शीट/दस्तावेज संल्गन)			
16.	डिमांड ड्राफ्ट का विवरण आवेदन के साथ संल्गन डीडी नं.: _____, बैंक का नाम और पता: _____ दिनांक: _____, रु _____ (रुपए _____) केवल			
17.	आवेदन के साथ जुड़े दस्तावेजों की संख्या:			

18.	**दो प्रमुख व्यक्तियों का नाम और पता जो दल और नेता/व्यक्तिगत कलाकार की योग्यता के बारे में भी प्रमाणित कर सकता है (दो व्यक्तियों की गवाही):** **i.** _____ **ii.** _____ _____ _____ _____ _____
19.	**क्या दल नेता/व्यक्तिगत कलाकार सहित सभी कलाकारों के आवश्यक चरित्र प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज सम्मिलित किये गये हैं : हाँ / नहीं**

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि सभी उपरोक्त विवरण और दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक: _____

स्थान: _____

_____

आवेदक के हस्ताक्षर (दल नेता/ व्यक्तिगत कलाकार)

पहले से रजिस्टर्ड दलों के लिए

1. **दल का नाम: _____**
2. **दल नेता का नाम और पता: _____**
3. **दल कब से रजिस्टर्ड है: _____**
4. **अवधि के दौरान आवंटित कार्यक्रमों की संख्या: _____**
5. **निष्पादित/प्रदर्शित कार्यक्रमों की संख्या: _____**
6. **अस्वीकृत/निष्पादित नहीं किए गए कार्यक्रमों की संख्या: _____**
7. **स्क्रीनिंग के बाद कलाकारों की संख्या बदल दी गई/हटा दी गई: _____**
8. **कैटेगरी जिसमें दल रजिस्टर्ड है: _____**
9. **सीबीसी का नाम जिससे दल जुड़ा हुआ है: _____**
10. **दल के पहले से ही प्रस्तुत सदस्यों की ग्रुप फोटो संल्गन: _____**

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि सभी उपरोक्त विवरण और दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक: _____

स्थान: _____

_____

आवेदक के हस्ताक्षर (दल नेता/ व्यक्तिगत कलाकार)

आवेदन के साथ संलग्न किया जाना

क्र. सं.	नेता/कलाकारों का नाम	पिता/पति का नाम	पता	क्या एसी/एसटी/ ओबीसी से संबंधित है	शैक्षणिक योग्यता	धर्म	मातृ भाषा	राष्ट्रीयता	दल में भूमिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

दिनांक: _____

_____

दल नेता के हस्ताक्षर